संख्या-6/2024/191/004-21-3002-001-2-2023

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,
लखनऊ।

भाषा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 09 सितम्बर, 2024

विषयः- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर-वेतन) मद में द्वितीय किश्त के रूप में **रू0 277.78 लाख** की धनराशि निर्गत करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 संस्कृत संस्थान के वचनबद्ध कार्यकलापों एवं योजनाओं के संचालन हेतु अनुदान संख्या-039 के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में प्रावधानित रू0 1000.00 लाख में से संस्थान को भाषा अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2024/91/001-21-3002-001-2-2023 दिनांकः 05 अप्रैल, 2024 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 166.66 लाख (रूपये एक करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि निर्गत की गयी। शेष धनराशि रू0 833.34 लाख में से **द्वितीय किश्त के रूप में रू0 277.78 लाख (रूपये दो करोड़ सतहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि को श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि राजकोष से आहरित करके नियमानुसार सक्षम अधिकारी की सहमति से व्यय की जायेगी। उक्त अनुदान की धनराशि उ0प्र0 संस्कृत संस्थान द्वारा आहरित की जायेगी और उसका बिल सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अनुमोदित/ स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी। इस का कोई अंश नई मदों पर व्यय नहीं किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि वचनबद्ध व्यय एवं समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि को एक माह की आवश्यकता के अनुसार प्रतिमाह आहरित किया जायेगा यदि किसी माह में एक माह की धनराशि का आहरण नहीं हो पाता है तो अगले माह में दो माह की धनराशि एक साथ आहरित की जा सकती है। संस्थान में लम्बित आडिट आपत्तियों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निस्तारण शीघ्र सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में उल्लिखित नियमावली में दिये गये हैं।

(3) इस धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र साक्ष्य सहित दिनांक: 31 मार्च, 2025 तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/ योजनाओं पर किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जाय।

(6) वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,77,78,000 (रुपये दो करोड़ सतहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 039 **लेखा शीर्षक** 2202031040600 उ.प्र. संस्कृत संस्थान को अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- ई-7-82/दस-2024, दिनांक: 30/08/2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 6(1) /2024/191 /004-21-3002-001-2-2023, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) द्वितीय, आडिट भवन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. भाषा उर्दू अनुभाग-4
9. श्री रत्न दीप दीक्षित (नोडल अधिकारी)।
10. डी0डी0ओ0, भाषा विभाग।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in